

**अनुदान संख्या 32 - वित्तीय सेवाएं विभाग**  
**GRANT No. 32 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1112,35,00		
		4090,03,00	3969,14,77	-120,88,23
पूरक	Supplementary	2977,68,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			117,03,88

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	262,31,00		
		8591,85,00	8588,40,77	-3,44,23
पूरक	Supplementary	8329,54,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,09,36

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O.	20844.00		
		16559.64	16246.81	-312.83
पु.	R.	-4284.36		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष “2235” सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Head Major Head “2235” Social Security and Welfare			
मू.	O.	82367.00		
पू.	S.	25657.00	103874.00	103874.00
पु.	R.	-4150.00		..
मुख्य शीर्ष “2885” उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “2885” Other Outlays on Industries and Minerals			
मू.	O.	4.00		
पू.	S.	23611.00	20600.00	20600.00
पु.	R.	-3015.00		..
(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹158.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।			(I) Provision of ₹158.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads.	
(II) मुख्य शीर्ष “2885” – “औद्योगिक वित्तीय संस्थान – औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता – दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एस. ए. एस. एफ.) को जारी की गई प्रतिभूतियों का उन्मोचन” के अंतर्गत – ₹1.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2023 में ₹23611.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹23612.00 लाख तक बढ़ाया गया जो, तथापि, दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एस. ए. एस. एफ.) द्वारा कम वसूली किए जाने के कारण ₹3012.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।			(II) Under Major Head “2885” - “Industrial Financial Institutions - Assistance to Industrial Finance Institutions - Redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilizations Fund (SASF)” - the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹23612.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹23611.00 lakhs in December, 2023 which, however, remained unutilized to the extent of ₹3012.00 lakhs - due to less recovery by Stressed Assets Stabilization Fund (SASF).	
(III) मुख्य शीर्ष “2070” – “निदेशन और प्रशासन – ऋण वसूली अधिकरण (डी. आर. टी.जे.)” – ₹4597.19 लाख की बचत (₹20844.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, ऋण वसूली अधिकरणों के मरम्मत और पुनरोद्धार कार्य को मंजूरी नहीं मिलने और 4 ऋण वसूली अधिकरणों को नहीं खोले जाने के कारण हुई।			(III) Under Major Head “2070” - “Direction and Administration - Debts Recovery Tribunals (DRTs)” - saving of ₹4597.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20844.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-approval of repair and renovation work at Debt Recovery Tribunals and non-opening of 4 Debt Recovery Tribunals.	

(IV) मुख्य शीर्ष “2235” – “अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन – अटल पेंशन योजना (ए पी वाई)” – ₹4000.00 लाख की बचत (₹52100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्राहकों की कम निरंतरता के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2235” - “Other Social Security and Welfare Programmes - Pensions under Social Security Schemes - Atal Pension Yojna (APY)” - saving of ₹4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52100.00 lakhs) was due to low persistency of subscribers.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/ हुए :-

2. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	मू.	पू.	पु.	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4070”	Major Head “4070”						
अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services						
मू.	O.	1210.00					
पू.	S.	632.00			1643.72	1512.48	-131.24
पु.	R.	-198.28					
मुख्य शीर्ष “4885”	Major Head “4885”						
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Other Capital Outlay on Industries and Minerals						
मू.	O.	2.00					
पू.	S.	24998.00			50001.00	50000.00	-1.00
पु.	R.	25001.00					
मुख्य शीर्ष “6885”	Major Head “6885”						
उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	Other Loans to Industries and Minerals						
मू.	O.	10000.00					
पु.	R.	-10000.00			..	..	..

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "7465"	Major Head "7465"	
सामान्य वित्तीय और ट्रेडिंग संस्थानों के लिए ऋण	Loans for General Financial and Trading Institutions	
मू.	O.	15000.00
पु.	R.	-15000.00

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹25006.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹25000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :-

(का) मुख्य शीर्ष "6885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को ऋण - सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सी. जी. एस. एम. एफ़. आई.)" - ₹10000.00 लाख - कोई एन. पी. ए. नहीं की सूचना दिए जाने के कारण निधियों की आवश्यकता नहीं होने से हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "7465" - "सामान्य वित्तीय संस्थान" -

क) "आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत ऋण" - ₹5000.00 लाख योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को उपलब्ध कराई गई गारंटी की वैधता समाप्त होने और कोई एन. पी. ए. नहीं की सूचना के कारण।

ख) "कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एल. जी. एस. सी. ए. एस.)" - ₹10000.00 लाख - योजना की वैधता समाप्त होने और बहुत कम

(I) Provision of ₹25006.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹25000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "6885" - "Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public Sector and other Undertakings - Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions (CGSMFI)" - ₹10000.00 lakhs - due to non-requirement of funds owing to no NPAs were reported.

(B) Major Head "7465" - "General Financial Institutions" -

(a) "Loans under Partial Credit Guarantee Scheme" - ₹5000.00 lakhs - due to expiry of validity of Guarantee provided to Public Sector Banks under the scheme and no NPAs were reported.

(b) "Loan Guarantee Scheme for COVID Affected Sectors (LGSCAS)" - ₹10000.00 lakhs - due to expiry of validity of scheme

मामलों में कोई एन. पी. ए. नहीं की सूचना मिलने के कारण।

and receipt of very few NPAs.

(II) मुख्य शीर्ष “4070” – “निदेशन और प्रशासन – वित्तीय सेवायें विभाग” – ₹1210.00 लाख का मूल प्रवधान (दिसंबर, 2023 में ₹632.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1842.00 लाख तक बढ़ाया गया जो, तथापि, ऋण वसूली अधिकरणों से वाहनों की खरीद का प्रस्ताव नहीं मिलने और प्रणाली के उन्नयन के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कंप्यूटरीकरण और डिजिटाइजेशन में नई विशेषतायें शुरू करने से ₹329.52 लाख तक की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head “4070” - “Direction and Administration - Department of Financial Services” - the original provision of ₹1210.00 lakhs was augmented to ₹1842.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹632.00 lakhs in December, 2023 which, however, remained unutilized to the extent of ₹329.52 lakhs - due to non-receipt of proposals for purchase of vehicles from Debt Recovery Tribunals and non-finalisation of proposal for upgradation of system and introduction of new features in the computerization and digitalization.

3. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹25002.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा की दिसंबर, 2023 में मुख्य शीर्ष “4885” – “औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी आई.)” में निवेश के अंतर्गत – ₹24998.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. The above savings were partly (₹25002.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹24998.00 lakhs in December, 2023 under Major Head “4885” - “Investments in Industrial Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)”.